परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ।

संख्याः 548सीएचक्यू/11–   दिनांकः 25 फरवरी, 2011

कार्यालय आदेश

निदेशक मण्डल की दिनांक 21–02–2011 को सम्पन्न 180वी बैठक में मद संख्या–24 पर निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, मुख्यालय में स्वस्थ कार्य संस्कृति के विकास, कार्य कुशलता एवं बेहतर उत्पादकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त पॉच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किया जाता है।

उक्त के फलस्वरूप निगम मुख्यालय का कार्यालय, सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक खुला रहेगा एवं शनिवार एवं रविवार को बन्द रहेंगे। इस प्रकार प्रत्येक मास मे अतिरिक्त शनिवारो को अवकाश होने के कारण कार्यालय समय में हुई कमी को पूरा करने के लिये निगम मुख्यालय का कार्य समय पूर्वान्ह 9.30 बजे से अपरान्ह् 6.00 बजे तक रहेगा। अपरान्ह् 1.00 बजे से 1.30 बजे तक मध्यान्ह् भोज का समय निर्धारित होगा। परिवहन निगम मुख्यालय में स्थित कन्ट्रोलरूम शनिवार एवं रविवार को यथावत् चलता रहेगा।

परिवहन निगम मुख्यालय मे सभी सार्वजनिक अवकाश व निर्बन्धित अवकाश पांच दिवसीय सप्ताह के विभागाध्यक्ष कार्यालयो के समान ही होंगे। निगम के क्षेत्रीय कार्यालय में 6 दिवसीय कार्य सप्ताह यथावत् रहेगी।

उक्त आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

ह०
(नरेन्द्र भूषण)
प्रबन्ध निदेशक

समसंख्यक/समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2– प्रधान प्रबन्धक, केन्द्रीय कार्यशाला/डा0रा0म0लो0कार्यशाला एवं प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण संस्थान, उ0 प्र0 परिवहन निगम, कानपुर।
3– समस्त प्रधान प्रबन्धक, निगम मुख्यालय।
4– समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक, उ0 प्र0 परिवहन निगम।
5– प्रबन्धक, कार सेक्शन, उ0 प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ।
6– अधिशासी अभियन्ता(पूर्व/पश्चिम), निगम मुख्यालय।
7– अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/अपर प्रबन्ध निदेशक/वित्त नियंत्रक/विधि परामर्शदाता/मु0प्र0प्र0(प्रशा0)/मु0प्र0प्र0(संचा0)/मु0प्र0प्र0(प्रावि0), कैम्प निगम मुख्यालय।
8– गार्ड पत्रावली।

(सत्येन्द्र सिंह)
मुख्य प्रधान प्रबनधक(प्रशासन)